Dr Karuna Roy
Associate Professor
Department of Hindi
S.g.g.s. College Patna City
Email- Karuna-1812 @yahoo.co.in

स्नातक (भाग-III)
पत्र-5 भाषा विज्ञान
वर्ग-ख
हिन्दी का वर्तमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप इकाई-6

भाषा विज्ञान के अंतिम प्रश्न का दूसरा भाग इस इंटरनेट से भेजा जा रहा है। मूल प्रश्न के उत्तर में आपको हिंदी के राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के स्वरूप का चित्रण किया गया था। इस क्रम में आपने दो राष्ट्रों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका पर भी विचार किया था। इस लेखन में हिन्दी भाषा की वर्तमान स्थिति पर विचार किया जायेगा। भारतवर्ष के अंदर और भारत से बाहर विदेशों में हिन्दी की क्या स्थिति है इसका मूल्यांकन करना रोचक सिद्ध होगा। आप एक बड़े अध्याय को दो भागों में बाँट कर आसानी से समझ सकेंगे।

भूमंडलीकरण के इस दौर में हिंदी का समृद्ध स्वरूप विश्व स्तर पर स्वीकारा जा रहा है। यह कोई अनुचित नहीं है बल्कि हिंदी की निरंतर विकासमान यात्रा का सच है। पठन-पाठन, व्यापार, मीडिया, विज्ञापन, विदेश नीति, न्याय क्षेत्र, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में हिन्दी की पकड़ मजबूत हुई है। सूचना एवं संप्रेषण के सशक्त माध्यम के रूप में हिंदी का फलक विस्तृत हो रहा है। हिंदी 22 देशों में करीब सौ करोड़ लोग बोलते हैं इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

<u>अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप</u> - अंतरराष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जिससे विभिन्न राष्ट्र परस्पर संपर्क या व्यवहार करते हैं। हिंदी, चीनी एवं अंग्रेजी तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषाएं हैं। हिंदी सिर्फ दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और मारीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाड और टोबैगो जैसे अन्य देशों के साथ भी जोड़ती है। फ्रांस, चीन, हाँगकाँग, सूडान, आस्ट्रेलिया, रूस, जापान, इजराइल आदि राष्ट्रों में हिन्दी के शिक्षण की समुचित व्यवस्था है। भारत के बाहर लगभग 165 विश्वविद्यालयों हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था है। ब्रिटेन अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, श्रीलंका, म्याँमार, नेपाल, इंग्लैण्ड, रूस जैसे अनेक देशों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा लातीन अमेरिकी देशों में भी व्यापक रूप से हिन्दी का

प्रचार-प्रसार हो रहा है। वर्तमान में हिन्दी अन्तरराष्ट्रीय मंच पर अपने लिए सम्मानजनक स्थान ढूँढ रही है। अपने देश में तो वह राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा का स्थान ले चुकी है विदेशों में भी भारतीयों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज जो भी प्रवासी हैं वे आपस में मिलते जुलते हैं तो (टूटी-फूटी ही सही) हिंदी में ही बात करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ में छह आधिकारिक भाषाएँ स्वीकृत हैं - अंग्रेजी, रूसी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच तथा अरबी। हिन्दी इस सूची में शामिल नहीं है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है क्योंकि हिन्दी के बोलनेवालों की संख्या स्पेनिश, रूसी और अरबी लोगों से कई गुनी अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में उपर लिखित छह भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं इससे किसी को इंकार नहीं, किन्तु भारतवर्ष की भाषा हिन्दी उनके समकक्ष सम्मान की अधिकारिणी है इसमें कोई संदेह नहीं। खेतों और खलिहानों से निकलकर महानगरों से होती हुई अब यह भाषा न्यूयार्क तक पहुँच गई है। समय-समय पर होनेवाले विश्व हिंदी सम्मेलनों में यह बात जोरदार तरीके से रखते हुए माँग की जाती है कि हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वीकृत किया जाय। वैसे एक प्रतिभागी राष्ट्र की अधिकृत भाषा के रूप में हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान प्राप्त है किन्तु वह पूर्णतः उसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलने की स्थिति में भारत को प्रारंभ में अनुवाद, दुभाषिया, स्टेशनरी, कार्यालय, कम्प्यूटर संचार साधनों और कर्मचारियों की नियुक्ति में लगभग एक अरब रुपये की भारी राशि खर्च करनी पड़ेगी। यह भी एक बाधक तत्व है। लेकिन इंटरनेट के प्रचलन के पश्चात आयी सूचना क्रांति ने हिन्दी को कई स्तरों पर लाभान्वित किया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 137 देशों में हिन्दी भाषा विद्यमान है। हिन्दी भाषियों की कुल संख्या सौ करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। आज वैश्वीकरण के मुक्त बाजार व्यवस्था में हिन्दी विदेशों में भी आगे बढ़ रही है। आज विकसित देश अपने उत्पादों को भारत में बेचने के इच्छुक हैं। ~~और~~, बेचने के लिए विज्ञापन आवश्यक है, और, विज्ञापन की भाषा वहाँ की सर्वाधिक प्रचलित भाषा हो, यह भी जरूरी है। इसलिए दिन पर दिन हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उन्नत होती जा रही है।

हिन्दी का वर्तमान राष्ट्रीय स्वरूप – हिन्दी को संपर्क और राष्ट्रभाषा दोनों ही रूपों में स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु संविधान के अनुसार वह केवल भारत की राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संकल्पना के बीच अंतर है। राजभाषा आर्थिक विकास और प्रशासनिक प्रयोग से जुड़ी होती है, वह राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रभाषा सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की आधार होती है। भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की प्रक्रिया 1949ई० में प्रारंभ हुई। सन् 1949 में राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद ने इसका समर्थन किया था पर अनेक चर्चाओं के बाद देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया था। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत भर में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। भारतीय संविधान के 2, 6, 17 वें भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। संविधान सभा ने हिंदी के विविध उपबंधों, अनुच्छेदों तथा अंतिम अनुसूची में प्रस्तुत किया गया है। मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 'केंद्रीय हिंदी निदेशालय' की स्थापना हुई। अक्टूबर, 1961 में 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली' आयोग की स्थापना हुई। इसने अंग्रेजी तथा भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद कर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण किया। 1 मार्च 1991 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई। 26 जून 1975 को भारत सरकार ने 'स्वतंत्र राजभाषा विभाग' की स्थापना की। विधि मंत्रालय के अधीन 27 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा 'राजभाषा आयोग' ने प्रमुख कानूनों का हिन्दी में तैयार किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पहली बार 'हिन्दी सलाहकार समिति' की स्थापना 1950-51 ई० में हुई। हिन्दी के विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए 'विश्व हिन्दी सचिवालय' की स्थापना दिसंबर 2005 में की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाना है।

इसप्रकार राजभाषा हिन्दी राजकाज की भाषा होने के साथ-साथ अन्य दायित्वों का भी निर्वाह कर रही है। हिन्दी राजनीतिक महत्व की भाषा है जो राष्ट्रीय समस्याओं को बौद्धिक स्तर से सुलझाने में समर्थ है। यह सरकारी कामकाज की भाषा होने के साथ-साथ जनसामान्य के बीच (चाहे वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित) परस्पर व्यवहार का माध्यम भी है।

संपर्क नंबर - 9431881251